संख्या-35/2017/2974/78-2-2017-113आई0टी0/2017टीसी-।

प्रेषक,

डॉ० अखिलेश कुमार मिश्रा, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में.

- 1. समस्त, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2. समस्त विभागाध्यक्ष/निगम/ संस्थायें, उत्तर प्रदेश।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

लखनऊ: 22 नवम्बर 2017

विषयः आधार ऑथेन्टिकेशन, ईकेवाईसी, आधार सीडिंग एवं ई-साईन का क्रियान्वयन श्रीट्रान इण्डिया लि0 (AUA) द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक नियोजन विभाग की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2017 को हुई बैठक के अनुसार आई0टी0 एवं इले0 विभाग को ASA नामित किया गया है, जिसके अन्तर्गत Aadhar Seeeding, Authentication, e-KYC, e-Sign हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 को दिनांक 02.11.2017 आई0टी0 विभाग द्वारा राज्य सरकार के सभी विभागों हेतु AUA नामित किया गया है तत्क्रम में संलग्न यूआईडीएआई भारत सरकार के पत्र संख्याः के0-11022/673/2017- यू0आई0डी0ए0आई0 (ऑथ-॥) दिनांक 15.11.2017, श्रीट्रान इण्डिया लि0 को AUA हेतु अधिकृत किया गया है।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हु आ है कि विभाग में आधार सम्बन्धित कार्य (Aadhar Seeding, Authentication, e-KYC, e-Sign) एवं उक्त कार्य हेतु सभी विभागों को SUB AUA बनाते हेतु आधार से सम्बन्धित कार्यो हेतु श्रीट्रान इण्डिया लि0 को अधिकृत किया जाता है।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(डा0 अखिलेश कुमार मिश्रा) विशेष सचिव

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।